

5-7-21
शिवर

Form No 111
फर्म बहकान
(नियम 15)

इज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा
बुझीखान बनाम रहसीलदार राजाखेड़ा
 किस्म मुकदमा सिविल 1362R नम्बर 1 सन् 21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.06.2021	बकील प्रार्थी श्री आर.एस. चौहान ऐडवोकेट ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया। दफ्तर से रिपोर्ट कराई गई। प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.07.2021 को पेश हो। ✓	
01-7-2021	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी धारि, तहसीलदार राजाखेड़ा को डोर से जवाब प्रार्थना पत्र उत्तर दिनांक 01.07.2021 को उनके द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर अनापत्ति जाड़े की है व इस वकील प्रार्थी एकापक्षीय सुनी गयी पत्रावली वास्तु सिविल पीनेस 5-7-2021 का पेश था। ✓	
5-7-2021	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी धारि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1362R Act स्वीकार किया जा रहा है सिविल सिविल पृष्ठ से लिखा जाकार वास्तु पत्रावली दिनांक 01.07.2021 को पत्रावली पेश सुमार इकर बाद तहसीलदार राजाखेड़ा डोर हो हुकम सुनाया गया। ✓	

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)